

इलैक्ट्रिकल कान्ट्रैक्टर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

1. (अ) प्रार्थी का नाम :
(स्पष्ट अक्षरों में)
(ब) प्रार्थी की आयु :
2. पिता का नाम :
3. घर का पूरा पता :
4. दुकान का पूरा पता :
5. प्रार्थी के फर्म का जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना है :
6. साझेदारों के नाम, प्रत्येक की आयु व पिता का नाम व पूरा पता :
.....
(1)
(2)
(3)
(4)
7. प्रार्थी का दुकान से सम्बन्ध :
8. यदि प्रार्थी अथवा साझेदारों के नाम या फर्म के नाम से पहले कभी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस था तो उसका विवरण दें तथा बतलायें कि वह लाइसेंस इस समय जारी है अथवा रद्द हो गया है। यदि रद्द हो गया है तो रद्द होने का कारण भी बतलाइये :-
9. प्रार्थी की नौकरी में जो इलैक्ट्रिकल सुपरवाइजर हो उसका नाम, सर्टिफिकेट नम्बर तथा सर्टिफिकेट के मान्यता अवधि (नियुक्ति/स्वीकार उचयपत्र संलग्न करें) :-
(1)
(2)
10. प्रार्थी की नौकरी में जो वायरमैन हो, उनके नाम परमिट नम्बर तथा प्रत्येक परमिट मान्यता की अवधि (नियुक्ति/स्वीकार -पत्र संलग्न करें) :-
(1)
(2)
(3)
11. प्रार्थी अथवा दुकान द्वारा सामान्यता रखे जाने वाले इलैक्ट्रिकल स्टॉक का अनुमानित मूल्य :-.....
.....
12. प्रार्थी के परीक्षण यन्त्रों का पूरा विवरण (कैशमेमों की छाया प्रति संलग्न करें) :-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

13. ट्रेजरी चालान का नम्बर व दिनांक जिसके द्वारा दुकान के निरीक्षण एवं लाइसेंस के लिये 2500/- रुपये शुल्क का भुगतान किया गया । (मूल चालान आवेदन पत्र के साथ भेजें)

.....
.....

13. लाइसेंस की श्रेणी जो प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है :-.....

(‘क’, ‘ख’ अथवा ‘ग’)

मैं /हमएतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं तथा मैंने /हमने जानते हुये कोई गलत सूचना नहीं दी है । मैंने /हमने शासकीय विज्ञप्ति संख्या-1135-ई0/एल0/23-पी0बी0-96-ई0एल0ए0-58, दिनांक 11 मई,1967 के सभी नियमों का पूर्णतया अध्ययन कर लिया है। जिनके अन्तर्गत इस लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है और मैं/हम आश्वासन दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि सभी नियमों का अनुपालन करूँगा/करेंगे ।

प्रार्थी एवं साझीदारों के हस्ताक्षर :- (1)..... (2).....

मोहर (सील) सहित (1)..... (2).....

नोट :-

1. यदि प्रकाश में आने पर कोई गलत सूचना पाई गई तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
2. धारा-10 के नीचे नोट के अनुसार जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जायेगा ।
3. शुल्क जमा करने का लेखा शीर्षक :- “0043-बिजली पर कर तथा शुल्क”
“102-भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस”

प्रपत्र-‘ज’

बिजली के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अर्द्धवार्षिक परिलेख

लाइसेंस की संख्या :

ठेकेदार का नाम :

पता :

.....

.....

मैं /हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि दूसरी ओर उल्लिखित विवरण सही है और यह कि मैं/हम उन शर्तों को भली-भाँति समझता हूँ /समझते हैं कि जिसके अधीन किसी ठेकेदार को लाइसेंस प्रदान किया जाता है और उनके उल्लंघन के फलस्वरूप लाइसेंस का निलम्बन या रद्द किया जाना सम्भावित है ।

.....
ठेकेदार के हस्ताक्षर

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	प्राविधिक कर्मचारी वर्ग			निम्नलिखित का दिनांक		कर्मशाला के आपरेटर्स और परीक्षण सामग्री का विवरण			अद्यावधिक भंडार का मूल्य
		पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र सं०	वायरमेन का परमिट सं०	अप्रेंटिस	सेवायोजन	सेवामुक्ति	निर्माता का नाम	संख्या	वोल्टता	

.....
ठेकेदार के हस्ताक्षर

नियुक्ति पत्र / स्वीकार पत्र

सुपरवाइजर / वायरमैन का नवीनतम (छह माह से अधिक पुराना ना हो फोटो चिपकाया जाय जिस पर सुपरवाइजर / वायरमैन के हस्ताक्षर हों तथा ठेकेदार द्वारा फोटो को प्रमाणित किया जाये)

मैं या घोषणा करता हूँ कि मेरे पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट / वायरमैन का परमिट संख्या है (छायाप्रति संलग्न) और यह दिनांक तक मान्य (Valid) है और मैंने सर्वश्री के यहां पूर्ण रूप से (Whole time) के लिये दिनांक से नौकरी कर ली है और इसके अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ ।

मैंने सर्वश्री जिनके यहाँ मैं पहले से नौकर था, दिनांक से नौकरी छोड़ दी है ।

प्रति हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापित किया

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)
मुहर

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
(निरीक्षणकर्ता का पूरा नाम
व पदनाम)

वायरमैन / सुपरवाइजर के हस्ताक्षर

नाम :-

स्थायी पता :-

स्थानीय पता :-

फोन / मो0नं0 :-

नोट:- सुपरवाइजर / वायरमैन के स्वीकृति पत्र उसी की या ठेकेदार की हस्तलिपि में भरें जायें और हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित करायी जाय ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम :
 - पता :
 - पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
 - जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
 - चालान की सकल राशि :
 - चालान की निबल राशि :
 - लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
 - लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा-शीर्षक				उप मुख्य-शीर्षक				लघु-शीर्षक			उप-शीर्षक		व्यौरेवार-शीर्षक		धनराशि (अंको में)	

योग

धनराशि (शब्दों में) :

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :

अंको में रू0	
शब्दों में रू0	

दिनांक :

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

(2)

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)
नोट / सिक्के (धनराशि रूपयो में)

1000	X	
500	X	
100	X	
50	X	
20	X	
10	X	
5	X	
2	X	
1	X	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)		
योग :-		

टिप्पणी :-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशि के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।